छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 1128/2007*</u>

1.	**श्री इंदरचन्द सोनी,** **सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक,** **दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,** **जगदलपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 14 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 25.05.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर नियत समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने एवं उसके बाद अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.07.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहॉं भी सुनवाई नही होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 23.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी से सुनवाई नही करने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था, इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.08.2007 को जानकारी आवेदक को भेजी गई थी और चूंकि पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी थी इसलिए भुलवश सुनवाई नही हो सकी तथा उन्होंने यह भी लिखा है कि भविष्य में उपरोक्त त्रुटि की पुनरावृति नही होगी । चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपनी त्रुटि स्वीकार की है, अत: उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि इस प्रकार की पुनरावृति न हो । प्रकरण में जहॉं तक जानकारी का प्रश्न है पूर्व में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मिली थी ऐसा बहस के समय बताया गया और जन सूचना अधिकारी की ओर से यह बताया गया था कि पूर्व में जैसी जानकारी लिपिकों से मिली व दे दी गई थी और काफी विस्तृत जानकारी चाही गई थी इसलिए उससे संबंधित जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से बुलानी पड़ी थी, जिसके कारण विलंब हुआ है । अत: प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिन कर्मचारियों

द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई थी, उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित उत्तर में शेष जानकारी मिलना स्वीकार किया है, किन्तु आवास संबंधी ब्यौरा अपूर्ण बताया है, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवास संबंधी ब्यौरा की जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क एवं पूर्ण रूप से प्रदान की जावे । प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है, किन्तु विलंब, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त